भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 324
उत्तर देने की तारीख: 27.11.2024

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम

324. श्री तनुज पुनिया:
डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं चलाई जा रही हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कितने लाभार्थी हैं;

(ख) अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन विशेषकर शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पेश आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए परिव्यय और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों के लिए निर्दिष्ट निधि के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, जो भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को शामिल करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिलें और वे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य प्रतिभागी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना
iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (NMDFC) ऋण योजनाएं
v. समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)
vi. दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)- (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
vii. दीन दयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्या योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

viii. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
ix. दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
x. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना (वित्तीय सेवा विभाग)
xi. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग)
xii. पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
xiii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
xiv. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
xv. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन), (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

ये योजनाएं सरकार के परिपूर्ण दृष्टिकोण के तहत संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार के परिपूर्ण दृष्टिकोण के तहत कई घटकों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए परिव्यय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**व्यय**	**व्यय**
1	2019-20	4700.00	4505.12
2	2020-21	4005.00	3958.57
3	2021-22	4346.45	4325.24
4	2022-23	2612.66	837.68
5	2023-24	2608.93	1032.65

(घ): मंत्रालय ने व्यापक जांच सूचियों, वास्तविक निरीक्षणों और समर्पित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग सहित योजना कार्यान्वयन के मजबूत निगरानी ढांचे के माध्यम से अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए धन के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है और ऑनलाइन सार्वजनिक/लाभार्थी फीडबैक प्राप्त किया है।

******